# He Gazette of India

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2095।

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 19, 2012/आश्विन 27, 1934

No. 2095

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2012/ASVINA 27, 1934

# शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2533(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खंड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 4 अक्तूबर, 2010 की सं. का.आ. 2406(अ) की सार्वजिनक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खंड 11-ए के उप-खंड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपितयों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है : और
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड ।।-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जैलोरवाला बाग में 4.0 हेक्टेयर भूमि के उपयोग को योजना जोन 'एच' में मनोरंजन (जिला पार्क) से 'रिहायशी' में परिवर्तित करना। प्लाट की सीमा का ब्यौरा निम्नानुसार है-

स्थिति	क्षेत्र	भूमि उपयोग	परिवर्तित भूमि उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में जैलोरवाला बाग	4 हेक्टेयर	'मनोरंजन' (जिला पार्क)	'रिहायशी'	उत्तरः जिला पार्क और रेलवे लाइन दक्षिणः जिला पार्क पूर्वः रेलवे लाइन पश्चिमः सीईटीपी और जिला पार्क

[फा. सं. के-13011/16/2012-डीडीआईबी]

जे. पी. अग्रवाल, निदेशक (दिल्ली प्रभाग)

# MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2012

- S.O. 2533(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2406(E) dated 4<sup>th</sup> October, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required under sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
  - 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
  - 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021 accordingly.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

# **Modification:**

The change of land use of 4.0 ha at Jailorwala Bagh from 'Recreational (District Park)' to 'Residential', in planning Zone 'H'. The boundary description of the plot is as under:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Jailorwala Bagh at Wazirpur Industrial Area	4 ha.	'Recreational' (District Park)	'Residential'	North: District Park & Railway Line South :District Park East :Railway Line West :CETP & District Park

[ F. No. K-13011/16/2012-DDIB] J. P. AGRAWAL, Director (Delhi Division)